UPLK010191132024

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम, लखनऊ।**

पीठासीन अधिकारीः– नीतू पाठक (एच०जे०एस०), जे०ओ० कोड नं०–यू०पी० 6198

**सत्र परीक्षण संख्या–2944/2024**

राज्य **बनाम** वीरेन्द्र तिवारी आदि

मु०अ०सं०–120/2024
अं० धारा–115(2), 352, 351(2), 117(2) बीएनएस
व धारा–3(1)(द), 3(1)(ध),
3(2)(Va) एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट
थाना–इटौंजा, जनपद–लखनऊ।

**24.06.2026**

1. पत्रावली प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, अनुराग तिवारी उर्फ अभय तिवारी एवं आनन्द तिवारी** के प्रार्थनापत्र दिनांकित–23.06.2026 पर पेश हुई।

2. विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

3. अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

4. उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ की कोर्ट नं०–16 द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–528 बी०एन०एस०एस०, संख्या–1274/2026 में पारित आदेश दिनांकित–06.04.2026 के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–2944/2024 (राज्य बनाम वीरेन्द्र तिवारी एवं अन्य), मु०अ०सं०–120/2024, अंतर्गत धारा–115(2), 352, 351(2), 117(2) बी०एन०एस० व धारा–3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट, थाना–इटौंजा, जनपद–लखनऊ की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ की कोर्ट नं०–16 द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा– 528 बी०एन०एस०एस०, संख्या–1274/2026 में पारित आदेश दिनांकित–06.04.2026 की असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कंप्यूटराईज्ड कापींग सेन्टर, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है तथा केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग, जपनद न्यायालय, लखनऊ द्वारा प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

6. सुना तथा पत्रावली एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ की कोर्ट नं०–16 द्वारा उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांकित–06.04.2026 में उल्लिखित किया गयाः–

Accordingly, the criminal proceedings initiated in pursuance of ST No.–2944/2024 (State Vs. Virendra Tiwari & Ors.), in Case Crime No. 120/2024, Under Section–115(2), 352, 351(2), 117(2) BNS [Corresponding I.P.C Sections are 323, 504, 506, 325] & Section 3(1)(DA), 3(1)(DHA) & 3(2) (va) SC/ST Act relating to Police Station Itaunja District–Lucknow, are hereby quashed.

8. उपरोक्त परिस्थितियों में इस वाद की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में समाप्त की जाती है। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–24.06.2026

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम, लखनऊ।

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.06.24 12:23:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court